RNA : Real News Analysis
DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
दिसंबर
21
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

विदेशी धन प्रेषण (रेमिटेंस) / Foreign Remittance

2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी धन प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त किया, जिसकी अनुमानित राशि 129 अरब डॉलर रही। इसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा।

विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में भारत ने **$129 बिलियन** के अनुमानित प्रवाह के साथ रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद:

1. **मेक्सिको** - $68 बिलियन
2. **चीन** - $48 बिलियन
3. **फिलीपींस** - $40 बिलियन
4. **पाकिस्तान** - $33 बिलियन

रेमिटेंस की वृद्धि दर:

- 2024 में रेमिटेंस की वैश्विक वृद्धि दर 5.8% आंकी गई है, जो 2023 की 1.2% दर की तुलना में काफी अधिक है।

लो और मिडिल-इनकम देशों में रेमिटेंस का स्तर:

- वर्ष 2024 में इन देशों को रेमिटेंस **$685 बिलियन** तक पहुंचने की संभावना है।

दक्षिण एशिया में वृद्धि:

- **भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश** को मजबूत प्रवाह के कारण **दक्षिण एशिया** में रेमिटेंस में **11.8% की उच्चतम वृद्धि** का अनुमान।

यह आंकड़े प्रवासी भारतीयों की भूमिका और रेमिटेंस के वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं।

रेमिटेंस (प्रेषण):

1. **परिभाषा:** रेमिटेंस वह धनराशि है जो विदेशों में कार्यरत व्यक्ति **अपने मूल देश में परिवार** या समुदाय को भेजते हैं।
2. **भारत का स्थान:**
   वर्ष 2024 में भारत ने **129 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रेमिटेंस प्राप्त किए, जिससे वह रेमिटेंस प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है।
3. **वैश्विक महत्व:**
   - **विकासशील** देशों में रेमिटेंस विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है।
   - नेपाल, हैती, ताजिकिस्तान, और टोंगा जैसे देशों के GDP में रेमिटेंस का योगदान 25% से अधिक है।
4. **भारत में स्रोत:** खाड़ी देशों, **अमेरिका, ब्रिटेन**, और अन्य विकसित देशों में बसे प्रवासी भारतीय इसका प्रमुख स्रोत हैं।
5. **आर्थिक भूमिका:**
   - विदेशी मुद्रा से आवश्यक वस्तुओं का आयात।
   - ग्रामीण और शहरी परिवारों की आय बढ़ाना।
   - जीवन स्तर में सुधार।

रेमिटेंस का महत्व:

1. **आर्थिक स्थिरता:**
   - रेमिटेंस विकासशील देशों की **GDP** में योगदान देते हैं और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन को स्थिर बनाते हैं।
2. **गरीबी उन्मूलन:**
   - ये लाखों परिवारों को स्थिर आय प्रदान करते हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी ज़रूरतें पूरी होती हैं।
3. **विकास और निवेश:**
   - रेमिटेंस का उपयोग **छोटे व्यवसाय, कृषि और आधारभूत** परियोजनाओं में होता है, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
4. **सांस्कृतिक जुड़ाव:**
   - प्रवासी अपने देश से जुड़े रहते हैं, जिससे **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** होता है और प्रवासी समुदायों के साथ संबंध मजबूत होते हैं।

चुनौतियाँ:

1. **उच्च लेन-देन लागत:**
   - तकनीकी प्रगति के बावजूद, कुछ मार्गों में रेमिटेंस भेजने की लागत अधिक है, जिससे लाभार्थियों को कम धनराशि प्राप्त होती है।
2. **अत्यधिक निर्भरता:**
   - रेमिटेंस पर **अधिक निर्भरता से आर्थिक कमजोरी** होती है, जिससे स्थायी स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास बाधित हो सकता है।
3. **नियमात्मक बाधाएँ:**
   - कड़े **वित्तीय नियम और धन शोधन विरोधी उपाय रेमिटेंस ट्रांसफर** को जटिल और धीमा बना देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) / Electronic waste (e-waste)

पिछले पांच वर्षों में भारत में **इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट)** का उत्पादन 73% बढ़ गया है। 2019-20 में यह 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यह जानकारी **गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा दी गई है।

ई-वेस्ट क्या है?

1. **परिभाषा:** ई-वेस्ट (Electronic Waste) का अर्थ है फेंकी गई इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण (EEE) और उनके हिस्से, जिन्हें अब उपयोग में नहीं लाया जाता और पुन: उपयोग के लिए नहीं बनाया गया।
2. **उदाहरण:** इसमें रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और छोटे घरेलू उपकरण शामिल हैं।
3. **हानिकारक तत्व:** ई-वेस्ट में खतरनाक पदार्थ जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी और स्थायी जैविक प्रदूषक (Persistent Organic Pollutants) पाए जाते हैं।
4. **जोखिम:** ये पदार्थ सही ढंग से निपटान न होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं।
5. **प्रबंधन:** इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने **ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम**, 2022 लागू किए, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

ई-वेस्ट में वृद्धि के कारण:

1. **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बढ़ता उपयोग:** तकनीकी प्रगति और किफायती इंटरनेट की उपलब्धता ने दुनियाभर में जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।
2. **डिजिटल क्रांति का प्रभाव:** इस डिजिटल क्रांति के कारण इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3. **महामारी का प्रभाव:** 2019-20 और 2020-21 के बीच ई-वेस्ट में तेज वृद्धि हुई, जिसका कारण वर्क-फ्रॉम-होम और रिमोट लर्निंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग थी।

ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग: एक महत्वपूर्ण कदम

1. **रीसाइक्लिंग में वृद्धि:** भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग 2019-20 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 43% हो गई है।
2. **अप्रोसेस्ड ई-वेस्ट की स्थिति:** इसके बावजूद, **57% ई-वेस्ट (990,000 मीट्रिक टन)** अभी भी प्रोसेस नहीं किया गया है।
3. **रीसाइक्लिंग की चुनौतियाँ:** ई-वेस्ट प्रोसेसिंग की धीमी गति का मुख्य कारण **असंगठित क्षेत्र** को संगठित प्रणाली में शामिल करना मुश्किल होना है।
4. **असंगठित और संगठित क्षेत्र का समावेश**
    - विशेषज्ञों का सुझाव है कि **असंगठित क्षेत्र** को संगठित रीसाइक्लिंग प्रणाली से जोड़ा जाए।
    - इससे ई-वेस्ट का बेहतर संग्रह और **खतरनाक पदार्थों** का सही तरीके से उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ई-वेस्ट: चिंताएँ और चुनौतियाँ-

पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: ई-वेस्ट में आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, और मरकरी जैसे **जहरीले तत्व** होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आंकड़ों की कमी: ई-वेस्ट उत्पादन पर **राज्य-स्तर के आंकड़े** उपलब्ध नहीं हैं।

- केवल **राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान बिक्री** डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की औसत उम्र के आधार पर लगाए जाते हैं।

रीसाइक्लिंग की कमी: ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग दर कम है क्योंकि विभिन्न **हितधारकों को शामिल करने में कठिनाई** होती है।

कर प्रोत्साहन का अभाव: सरकार ने निर्माताओं को **पुन: उपयोग योग्य और टिकाऊ उत्पाद** डिज़ाइन करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रणाली लागू नहीं की है।

अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याएँ: **बिना नियमन वाले अनौपचारिक क्षेत्र** के कारण ई-वेस्ट का ट्रैक रखना और पर्यावरण मानकों का पालन कराना चुनौतीपूर्ण है।

डाटा गोपनीयता: कई उपभोक्ता ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें **निजी डेटा की सुरक्षा** को लेकर चिंता रहती है।

सरकारी प्रयास:

ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022

1. **विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR)**
    - इन नियमों के तहत, उत्पादकों को **लाइसेंस प्राप्त रीसाइक्लरों** के माध्यम से ई-वेस्ट का निपटान और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होती है।
2. **EPR तंत्र**
    - उत्पादकों को **वार्षिक रीसाइक्लिंग लक्ष्य** दिया जाता है, जो ई-वेस्ट उत्पादन और उत्पाद की बिक्री पर आधारित होता है।
    - इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें **EPR प्रमाणपत्र** खरीदने की आवश्यकता होती है।

मानवता के विरुद्ध अपराध / Crimes Against Humanity

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने हाल ही में अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) की रोकथाम और सजा के लिए प्रस्तावित संधि के पाठ को मंजूरी दी। यह कदम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है और वैश्विक स्तर पर CAH को रोकने और दंडित करने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे की नींव रखता है।

UNGA का निर्णय: मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संधि-

1. **संधि की स्वीकृति**: **4 दिसंबर 2024** को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें मानवता के विरुद्ध अपराधों (CAH) की रोकथाम और सज़ा पर एक प्रस्तावित संधि के मसौदे को स्वीकार किया गया।
2. **मसौदे का प्रस्तुतिकरण**: इस संधि का प्रारूप **5 वर्ष पूर्व** अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) द्वारा UNGA की छठी समिति को प्रस्तुत किया गया था, जो कानूनी मामलों पर चर्चा का प्रमुख मंच है।
3. **दंड से मुक्ति के खिलाफ कदम**: यह विकास **मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड से बचाव** (Impunity) को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में मील का पत्थर है।
4. **वैश्विक सहयोग का संकेत**: यह प्रस्ताव **अंतर्राष्ट्रीय कानून** को मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए **सामूहिक प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

CAH संधि की आवश्यकता:

1. **कानूनी ढांचे की कमी:**
   - **मानवता के अपराध (CAH)**: CAH अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक होने के बावजूद, इनके लिए समर्पित एक व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है, युद्ध अपराध और नरसंहार के विपरीत।
   - **विशिष्ट संधि का अभाव**: नरसंहार संधि (1948) और जिनेवा संधियों (1949) के विपरीत, CAH के लिए कोई संधि नहीं है, जिससे जिम्मेदारियों और अनिवार्यताओं में अस्पष्टता होती है।
   - **रोम संधि की सीमाएँ**:
     - CAH को ICC के रोम संधि (1998) में कोडित किया गया है, लेकिन प्रवर्तन सीमित है।
     - ICC का ध्यान व्यक्तियों पर केंद्रित है, जो नरसंहार, युद्ध अपराध, CAH और आक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वैश्विक न्यायाधिकारों की कमी है।
2. **ICC की क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ:**
   - **सीमित क्षेत्राधिकार**: ICC का क्षेत्राधिकार सदस्य राज्यों तक सीमित है या उन मामलों तक सीमित है जिन्हें यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया है, जिससे गैर-सदस्य राज्यों के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
   - **क्षेत्रीय शून्यता**: यह अंतर उन व्यक्तियों को न्याय से भागने का मौका देता है जो गैर-सदस्य राज्यों में हैं, जिसमें प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ भी शामिल हैं।
   - **वृद्धि के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता**: व्यापक राज्य सहयोग के बिना, बहुत से CAH मामले अनसुलझे रहते हैं।
3. **व्यक्ति के आपराधिक जिम्मेदारी बनाम राज्य की जिम्मेदारी:**
   - **व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर ध्यान**: रोम संधि व्यक्तियों को दंडित करने पर जोर देती है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देती।
   - **नरसंहार और युद्ध अपराधों में राज्य की जिम्मेदारी**: संधियों जैसे कि नरसंहार संधि, राज्यों को अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए जिम्मेदार बनाती हैं, जिससे राज्य स्तर पर कार्यवाही की अनुमति मिलती है।

CAH की सीमा का विस्तार:

- एक CAH संधि CAH की सीमा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी ताकि इसमें शामिल हो सकें:
  - नागरिक जनसंख्या की भुखमरी
  - लिंग आपातकाल
  - जबरन गर्भाधान
  - परमाणु हथियारों का उपयोग
  - आतंकवाद
  - प्राकृतिक संसाधनों का शोषण
  - मूल जनसंख्या के खिलाफ अपराध

भारत की स्थिति:

- **रोम संधि का दल नहीं**: भारत रोम संधि का दल नहीं है और ICC के अभियोजक के अधिकारों, रोम संधि के तहत UN सुरक्षा परिषद की भूमिका और 'परमाणु हथियारों और अन्य विनाशकारी हथियारों के उपयोग' को युद्ध अपराध के रूप में शामिल नहीं करने के मुद्दों पर बार-बार आपत्ति जताई है।
- **सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपराध**: भारत ने तर्क दिया है कि केवल सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए गए अपराधों – और न कि शांति के दौरान किए गए अपराधों को CAH के रूप में माना जाना चाहिए।
- **अधिकारिता से संबंधित असमर्थन**: इसके अतिरिक्त, भारत 'जबरन अदालती गुमशुदगी' को CAH का एक कार्य नहीं मानने का पक्षधर नहीं है।
- **आतंकवाद को शामिल करने का समर्थन**: इसके बजाय, भारत 'आतंकवाद' को CAH के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

1. **ऐतिहासिक कदम**: अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) संधि के लिए प्रस्ताव को अपनाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
2. **भारत की चिंताएँ**: भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ अपनी जगह उचित हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अपराधों से संबंधित घरेलू कानूनों की कमी भारत की स्थिति को कमजोर करती है।
3. **कानून निर्माण की आवश्यकता**: CAH के खिलाफ व्यापक घरेलू कानून बनाकर, भारत इस असंगति को दूर कर सकता है।
4. **वैश्विक नेतृत्व का अवसर**: भारत न्याय के लिए वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है और एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित कर सकता है।

स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग: भारत-चीन / Special Representative Dialogue: India-China

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (SRs) की 23वीं बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच, अक्टूबर से संबंधों की बहाली में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

- यह बैठक व्यापक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया है।

भारत-चीन सीमा विवाद और अन्य समझौतों पर चर्चा:

- **बैठक का संदर्भ**: भारत-चीन सीमा विवाद (3,500 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा - LAC) के समाधान हेतु विशेष प्रतिनिधियों की बैठक, जो 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद रुकी थी, 2023 में फिर शुरू हुई।
- **महत्वपूर्ण घटनाएं**:
  1. 2019 के बाद पहली बार अजीत डोभाल और वांग यी की SRs के रूप में बैठक।
  2. 2020 के बाद अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा।
  3. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान में हुई चर्चा के अनुरूप आयोजित हुई।
- **प्रमुख निर्णय**:
  1. कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी।
  2. सिक्किम में सीमा व्यापार पुन: शुरू होगा।
  3. सीमा पार नदियों के लिए डेटा साझा किया जाएगा।
  4. अन्य निलंबित समझौतों पर भी चर्चा जारी, जैसे सीधी उड़ानें, व्यापार और छात्र वीजा, और पत्रकार आदान-प्रदान।
- **सीमा विवाद पर सहमति**:
  1. LAC पर तनाव घटाने की प्रक्रिया जारी रखना।
  2. 2005 के 11-सूत्रीय समझौते के अनुसार सीमा विवाद सुलझाना।
  3. सीमा पर विश्वास निर्माण उपाय (CBMs) और सीमा-पार आदान-प्रदान को मजबूत करना।
  4. SR प्रक्रिया और परामर्श तंत्र (WMCC) को समन्वित करना।
  5. अगली बैठक 2025 में भारत में आयोजित करना।

स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग:

1. **स्थापना और उद्देश्य**:
   - भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मेकेनिज्म की शुरुआत की गई थी।
   - इसका उद्देश्य सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान खोजना है।
2. **वर्किंग मेकेनिज्म की शुरुआत**: 2012 में सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए नई दिल्ली और बीजिंग ने एक वर्किंग मेकेनिज्म की शुरुआत की।
3. **वर्तमान बैठक**: बीजिंग में 18 दिसंबर को होने वाली बैठक SR डायलॉग के तहत 23वीं वार्ता होगी।
   - पिछली बैठक दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी।
4. **बैठकों का निलंबन**: गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण 2019 के बाद से ये बैठकें निलंबित थीं।

भारत-चीन संबंधों का महत्व:

- **भौगोलिक पड़ोसी**: भारत और चीन के बीच 3,488 किमी लंबी सीमा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है।
- **संतुलन शक्ति**: भारत चीन को संतुलन शक्ति के रूप में देखता है, जिससे अपनी क्षमताएं बढ़ाने और रणनीतिक गठबंधन बनाने की प्रेरणा मिलती है।
- **आर्थिक संबंध**: चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश दोनों देशों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सीमा विवाद**: लगातार सीमा विवाद तनाव उत्पन्न करते हैं, जिनका समाधान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- **हिंद महासागर का महत्व**: चीन की नौसेना का विस्तार भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती देता है और चीन वहां मजबूत समुद्री उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

भारत-चीन संबंध: चुनौतियां-

1. **सीमा विवाद**: दक्षिण चीन सागर और हिमालय में सीमा को लेकर चल रहे विवादों से लगातार तनाव और अविश्वास बना रहता है।
2. **ऋण जाल कूटनीति**: विकासशील देशों को ऋण देकर चीन उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाता है, जिससे उनकी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।
3. **तिब्बत की पांच उंगलियां**: चीन की यह रणनीति तिब्बत से सटे पांच क्षेत्रों—लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश—पर प्रभाव डालने की कोशिश करती है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है।
4. **रणनीतिक घेराबंदी**: "पर्ल्स की माला" पहल के तहत चीन की सैन्य उपस्थिति हिंद महासागर में बढ़ रही है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधी चुनौती मिलती है।
5. **सलामी स्लाइसिंग रणनीति**: यह धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्सों पर क जा जमाने की रणनीति है, जिससे नए क्षेत्र हथियाने और विरोध को खत्म करने का प्रयास किया जाता है।
6. **जल सुरक्षा**: ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों पर चीन का नियंत्रण भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
7. **व्यापार असंतुलन**: चीन के साथ भारत का भारी व्यापार घाटा, विशेषकर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) के क्षेत्र में, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करता है।

IPBES नेक्सस रिपोर्ट / IPBES Nexus Report

हाल ही में, इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने नेक्सस रिपोर्ट जारी की, जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।

- यह रिपोर्ट पांच प्रमुख तत्वों - जैव विविधता, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन - के बीच जटिल संबंधों का वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करती है और सह-लाभ बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

1. **जैव विविधता का नुकसान:**
   - पिछले 30-50 वर्षों में जैव विविधता हर दशक में औसतन 2-6% कम हुई है।
   - यह भोजन, जल, स्वास्थ्य और जलवायु प्रणालियों को गंभीर खतरे में डालता है।
2. **खाद्य सुरक्षा और अन्य तत्वों के बीच समझौता:**
   - रिपोर्ट में छह परिदृश्य प्रस्तुत किए गए हैं जो बताते हैं कि जैव विविधता, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जलवायु के बीच कैसे आपसी प्रभाव होंगे।
3. **प्रकृति की पुनर्स्थापना से जलवायु समाधान:**
   - पुनर्वनीकरण, आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना और स्थायी भूमि प्रबंधन जैसी तकनीकें जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई के सह-लाभ प्रदान करती हैं।
4. **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार:**
   - जैव विविधता के लिए $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन वार्षिक धनराशि की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है।
   - वर्तमान आर्थिक प्रणालियाँ जैव विविधता हानि के दुष्प्रभावों को शामिल नहीं करतीं, जिससे सालाना $10-25 ट्रिलियन की अनदेखी लागत होती है।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

1. **वन:**
   - जल शोधन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो जल उपलब्धता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
   - जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण इन सेवाओं की सेहत और स्थिरता पर असर पड़ रहा है।
2. **जलवायु:**
   - जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण रेगुलेटर के रूप में कार्य करते हैं।
   - मनुष्यों द्वारा की जा रही गतिविधियों के कारण उनकी क्षति इन भूमिकाओं में उनकी प्रभावशीलता को कम कर रही है।
3. **मीठे जल की जैव विविधता:**
   - प्रदूषण, आवास विनाश और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से क्षीण हो रही है।
4. **समुद्री और मीठे जल की प्रजातियाँ:** तटीय और दलदल क्षेत्रों में प्रदूषण, अपवाह, और अन्य तनावों के कारण विशेष रूप से कमजोर हैं।
5. **कोरल रीफ:** अस्थिर मछली पकड़ना, महासागरीय अम्लता और जलवायु परिवर्तन जैसे कई खतरों का सामना कर रहे हैं।
   - वैश्विक स्तर पर लगभग तीसरी प्रजातियों को खतरे में डालना।

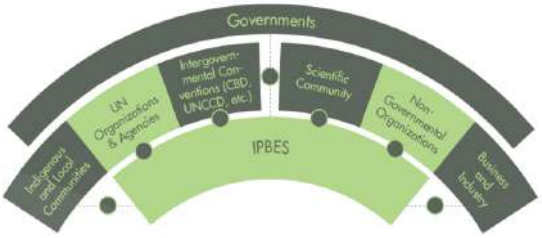

अनुशंसाएं (recommendations):

1. **आर्थिक अवसर:** सतत दृष्टिकोण अपनाने से 2030 तक $10 ट्रिलियन से अधिक आर्थिक अवसर और 400 मिलियन नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं।
2. **स**रकारें निर्णायक रूप से कार्रवाई करें और विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग करें: वैश्विक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लक्ष्यों, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए सरकारों को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।
3. IPBES ने प्राकृतिक दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में मौलिक और रूपांतरणकारी बदलावों की आवश्यकता को पुकारा है। इसका उद्देश्य इसकी भलाई की दिशा में है।
4. रिपोर्ट ने यह कहा कि मौजूदा और पिछले दृष्टिकोणों ने पारिस्थितिकीय गिरावट से निपटने में विफलता हासिल की है, और एक नया रूपांतरणकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यह चार मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:
   - **समानता और न्याय,**
   - **बहुलता और समावेशन,**
   - **सम्मानजनक और परस्पर संबंध मनुष्य-प्रकृति,**
   - **अनुकूलनशीलता और कार्रवाई में सीखना।**
5. रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि कार्रवाई में देरी से लागतें महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेंगी, जबकि तत्काल कार्रवाई से अनुमानित $10 ट्रिलियन व्यवसाय अवसर और 400 मिलियन नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं 2030 तक।

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय / Yuga Yugeen Bharat National Museum

भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट (FMD) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत फ्रांसीसी एजेंसी ब्रिटिश काल के इस ऐतिहासिक स्थल को एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करेगी। इस संग्रहालय को 'युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' के रूप में नामित किया गया है।

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में:

1. **उत्पत्ति:**
   - प्रधानमंत्री द्वारा मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के दौरान घोषणा की गई।
2. **उद्देश्य और महत्व:**
   - भारत की अविच्छिन्न सभ्यता और सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करना।
   - समावेशिता और समुदाय की कहानियों को बढ़ावा देना।
   - भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को जोड़कर अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का प्रयास।
3. **मंत्रालय और नाम:**
   - संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित।
   - इसे "युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय" नाम दिया गया है, जो संग्रहालय अनुभव को नए आयाम प्रदान करेगा।
4. **केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा:**
   - दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
   - पहला चरण: 2026 तक नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित करना।
   - नॉर्थ ब्लॉक: वित्त और गृह मंत्रालय के कार्यालय।
   - साउथ ब्लॉक: प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के कार्यालय।
5. **विशाल आकार:**
   - यह लगभग 1.55 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा।
   - इसके बनने के बाद यह पेरिस के लौव्र संग्रहालय को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा।
6. **स्थापत्य धरोहर का संरक्षण:**
   - "एडाप्टिव री-यूज़" के माध्यम से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की स्थापत्य धरोहर संरक्षित की जाएगी।
7. **महत्वपूर्ण दिवस:**
   - अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस: 18 मई।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में स्थित भारत के मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र को आधुनिक और उपयोगी बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह क्षेत्र भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।

परियोजना के उद्देश्य:

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करना है।
- भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतीक स्थलों को संरक्षित रखते हुए, उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना।
- प्रशासनिक भवनों के बेहतर उपयोग और स्थानों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

मुख्य उप-परियोजनाएँ: सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित चार प्रमुख उप-परियोजनाएँ शामिल हैं:

1. **नया संसद भवन निर्माण-**
2. **सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास-**
3. **प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और आवासीय परिसर का निर्माण-**
4. **सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण:** विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही स्थान पर संगठित किया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का मुख्य भाग: यह क्षेत्र भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख स्थल शामिल हैं:

- **कर्तव्य पथ और इंडिया गेट लॉन:** राष्ट्रीय पर्व और आयोजनों का मुख्य स्थान।
- **राष्ट्रपति भवन:** भारत का प्रमुख संवैधानिक स्थल।
- **नॉर्थ और साउथ ब्लॉक:** प्रशासनिक कार्यालयों का केंद्र।
- **संसद भवन:** भारत की विधायी प्रणाली का केंद्र।
- **इंडिया गेट स्मारक:** देशभक्ति और शहीदों की स्मृति का प्रतीक।

महत्व और लाभ:

- यह परियोजना प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण में भी मदद करेगी।

हाइड्रोथर्मल वेंट / Hydrothermal Vents

भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय महासागर में 4,500 मीटर गहराई पर सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की दुर्लभ तस्वीर ली।

मुख्य बिंदु:

1. **ऐतिहासिक खोज:** राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) के वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल की।
2. **खोज का महत्व:**
    - यह खोज भारत सरकार के ₹4,000 करोड़ के 'डीप ओशन मिशन' के अंतर्गत की गई है।
    - इससे खनिज संसाधनों की खोज और उनके उपयोग में नए अवसर मिल सकते हैं।
3. **गहराई पर खोज:** सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट 4,500 मीटर की गहराई पर स्थित है, जो समुद्र के अज्ञात हिस्सों का खुलासा करता है।
4. **वैज्ञानिक महत्व:** यह खोज महासागर विज्ञान के अध्ययन को नई दिशा देगी और भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।
5. **भविष्य की संभावना:** इस खोज से महासागर में खनिज संपदा के सतत उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट:

1. परिचय: सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट महासागर तल पर प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जहां से भू-तापीय रूप से गर्म और खनिज-समृद्ध पानी समुद्र में प्रवाहित होता है। ये अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और भूवैज्ञानिक घटनाओं का निर्माण करते हैं।

2. बनने की प्रक्रिया:

- **पानी का प्रवेश:** समुद्र का पानी महासागर की परतों में दरारों के माध्यम से प्रवेश करता है।
- **मैग्मा द्वारा गर्म होना:** पानी समुद्र तल के नीचे मौजूद मैग्मा द्वारा अत्यधिक गर्म हो जाता है।
- **खनिजों का घुलना:** गर्म होने पर, पानी आसपास की चट्टानों से खनिजों को घोल लेता है।
- **वेंट का निर्माण:** यह गर्म और खनिज-समृद्ध पानी वापस समुद्र में निकलता है, जिससे हाइड्रोथर्मल वेंट बनते हैं।

3. भौगोलिक स्थिति:

- ये वेंट मुख्य रूप से ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ये अक्सर उन स्थानों पर मिलते हैं जहां समुद्री प्लेटें अलग हो रही होती हैं, जैसे कि मध्य-महासागरीय रिज।

4. हाइड्रोथर्मल वेंट के प्रकार:

ब्लैक स्मोकर्स:

- इनसे 350°C से भी अधिक गर्म पानी निकलता है।
- पानी में सल्फाइड्स की उपस्थिति इसे काला रंग देती है।

व्हाइट स्मोकर्स:

- इनसे अपेक्षाकृत ठंडा पानी निकलता है।
- इसमें बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन जैसे हल्के रंग के खनिज होते हैं, जो इसे सफेद रंग प्रदान करते हैं।

गहरे सागर मिशन (Deep Ocean Mission)

गहरे सागर मिशन भारत सरकार का प्रमुख पहल है, जिसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत शुरू किया गया।

- इसका उद्देश्य महासागर के विशाल संसाधनों का अन्वेषण और उपयोग करना है, साथ ही महासागर विज्ञान और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की चुनौतियों का समाधान करना है।

उद्देश्य:

- **गहरे सागर संसाधनों का अन्वेषण:** भारतीय महासागर में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स, पॉलिमेटैलिक नोड्यूल्स, और कोबाल्ट-समृद्ध परतों का अध्ययन और मानचित्रण।
- **गहरे सागर खनन के लिए तकनीक का विकास:** 6,000 मीटर की गहराई तक खनन के लिए उन्नत उपकरण और वाहन विकसित करना और उन्हें तैनात करना।
- **जैव विविधता और पर्यावरण अध्ययन:** गहरे सागर के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और जीवन रूपों पर अनुसंधान करना।
- **जलवायु परिवर्तन और महासागर निगरानी:** जलवायु परिवर्तन और इसके महासागरों पर प्रभाव की निगरानी करने की भारत की क्षमता को मजबूत करना।
- **समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और औषधि विकास:** औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए समुद्री जीवों का अध्ययन और अनुसंधान।

3. महत्व:

- यह मिशन भारत की गहरी महासागर क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक महासागर अनुसंधान में योगदान देगा।
- समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार और समुद्री दवाओं के विकास में सहायक।

विकसित भारत 2047 / Developed India 2047

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले मिशन शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, देशी नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को इन क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनाना है।

मुख्य बिंदु: 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर सरकार के प्रयास-

1. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन जैसे उच्च-स्तरीय मिशन शुरू किए गए।
    - इन मिशनों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना है।
2. **स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन:** स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और समावेशी नवाचार एवं उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए।

- **रणनीतिक नीतियां: जियोस्पेशियल** पॉलिसी 2022, स्पेस पॉलिसी 2023 और बायोE3 पॉलिसी 2024 लागू की गईं।

3. **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना ANRF अधिनियम 2023 के तहत की गई।
    - ANRF का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार, क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग और उच्च प्रभाव वाले शोध को प्रोत्साहित करना है।
4. **प्रमुख क्षेत्रीय विकास:** क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर-फिजिकल सिस्टम, और बायो मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार को बढ़ावा दिया गया।
    - ये प्रयास तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्थिरता और आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं।
5. **वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति:**
    - अनुसंधान प्रकाशनों (2,07,390) के मामले में भारत तीसरे स्थान पर।
    - स्टार्टअप्स की संख्या (1,40,000 से अधिक) में भी तीसरा स्थान।
    - विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या (16,968) के मामले में चौथा स्थान।
    - पेटेंट फाइलिंग में छठा स्थान (रेजिडेंट: 38,551 और नॉन-रेजिडेंट: 38,517)।
    - ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में भारत की रैंक 2015 में 81वीं से बढ़कर 2024 में 39वीं हुई।
6. **अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय:**
    - R&D पर कुल व्यय 2009-10 में ₹53,041.30 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1,27,380.96 करोड़ हुआ।
    - GERD (बिलियन करंट PPP$) में भारत 7वें स्थान पर।
8. **लैंगिक भागीदारी और शोधकर्ता:**
    - R&D में महिलाओं की भागीदारी 2009 में 14.3% से बढ़कर 2021 में 18.6% हुई।
    - प्रति मिलियन जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या 2009 में 164 से बढ़कर 2020 में 262 हुई।

विकसित भारत 2047: संकल्पना और महत्व-

1. **परिचय:**
    - विकसित भारत 2047 भारत सरकार की एक व्यापक दृष्टि योजना है।
    - इसका उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना है, जो स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा।
2. **दृष्टि के मुख्य पहलू:**
    - **आर्थिक विकास:** तीव्र और समावेशी आर्थिक प्रगति।
    - **सामाजिक प्रगति:** समाज के हर वर्ग का विकास।
    - **पर्यावरणीय स्थिरता:** सतत विकास के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण।
    - **सुशासन:** पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित शासन।
3. **पंच प्रण और विकसित भारत:**
    - माननीय प्रधानमंत्री के पंच प्रण में "विकसित भारत" प्रमुख है।
    - यह भारतीय विकास के आत्मा और दृष्टिकोण का परिचायक है।
4. **चार स्तंभ:**
    - **युवा:** भारत के भविष्य के लिए युवा शक्ति का उपयोग।
    - **गरीब:** गरीबी उन्मूलन और सबके लिए समान अवसर।
    - **महिला:** महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी बढ़ाना।
    - **किसान:** कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की समृद्धि।
5. **सुख और विकास का संबंध:**
    - विकास की प्रक्रिया में सुख को केंद्रीय महत्व दिया गया है।
    - सुख के बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है।
    - विकसित राष्ट्रों के बीच भी असंतोष और दुख को दूर करना प्राथमिकता है

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

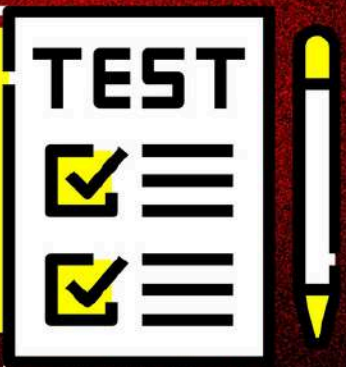

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !